कार्यालय कलेक्टर सीहोर, जिला सीहोर, म0प्र0

क्रमांक 1175/स्थापना/12 सीहोर, दिनांक : 17 जुलाई, 12

कार्यालयीन आदेश क्र0–2

प्रायः यह देखने में आया है कि, जन सुनवाई में अथवा कार्यालय में राजस्व विभाग से संबंधित प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्रों को राजस्व प्रकरण के रुप में दर्ज न करते हुए सामान्य प्रशासनिक प्रकिया में निराकृत कर दिया जाता है । इससे इन प्रकरणों का न तो यथोचित निराकरण हो पाता है और ना ही संबंधित अधिकारी व्दारा लिये गये निर्णय के विरुद्व पक्षकार/आवेदक उचित स्तर पर अपील कर पाता है ।

2. उक्त स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था दी जाती है कि सभी राजस्व अधिकारियों को जन सुनवाई में अथवा समक्ष में प्राप्त होने वाले राजस्व विभाग से संबंधित आवेदन यथा सीमांकन, नामान्तरण, बंटवारा, कब्जा विवाद, रास्ता को प्रकरण के रुप में पंजीबद्व करते हुए, निराकृत किया जाए ।

3. उक्त श्रेणी के प्राप्त होनेवाले सभी आवेदनों को राजस्व प्रकरण के रुप में दर्ज कर उन्हें समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इन आवेदन पत्रों के संबंध में पर वही प्रकि्या अपनाई जाए जो राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अपनाई जाती है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

(कवीन्द्र कियावत)
कलेक्टर,
जिला सीहोर

पृ0क्र0 :1176 /स्थापना/12 सीहोर, दिनांक : 17 जुलाई, 12

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– अपर कलेक्टर, सीहोर,
3– अनुविभागीय अधिकारी समस्त जिला सीहोर,
4– तहसीलदार / नायब तहसीलदार, जिला सीहोर
5– स्टेनो टू कलेक्टर, सीहोर,
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित ।
6– सहायक संचालक, जनसंपर्क सीहोर को प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर,
जिला सीहोर